"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 30 अप्रैल 2026 — वैशाख 10, शक 1948

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2026

अधिसूचना

ESTB/9019/2025-HOME SECTION.— छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 2025 (क्र. 15 सन् 2025) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों और संबंधित उपक्रम में उनके प्रतिनियुक्ति को विनियमित करने इत्यादि, के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

अध्याय–एक
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**–(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2026" कहलायेंगे।

(2) ये छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ.**–(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 2025 (क्र. 15 सन् 2025);

(ख) **"सी.जी.एस.आई.एस.एफ."** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल।

chaturpost.com

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो
बल का गठन

3. **बल का गठन.**–बल में निम्नलिखित शाखाएँ होंगी, अर्थात्:–

(क) कार्यपालक शाखा

(ख) अनुसचिवीय शाखा

4. **बल की संरचना.**– बल के पर्यवेक्षण और अन्य अधिकारियों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्:–

(क) पर्यवेक्षण अधिकारी

(एक) पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़;

(दो) विशेष पुलिस महानिदेशक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ.;

(तीन) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ.;

(चार) पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ.;

(पाँच) पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ.;

(छः) सेनानी, सी.जी.एस.आई.एस.एफ.;

(सात) उप सेनानी, सी.जी.एस.आई.एस.एफ.;

(आठ) सहायक सेनानी, सी.जी.एस.आई.एस.एफ.।

(ख) कार्यपालक अधिकारी

(एक) कंपनी कमाण्डर/निरीक्षक;

(दो) प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक;

(तीन) सहायक प्लाटून कमाण्डर/सहायक उप निरीक्षक;

(चार) प्रधान आरक्षक;

(पाँच) आरक्षक;

(छः) आरक्षक ट्रेडमेन (कुशल/अकुशल)।

chaturpost.com

(ग) अनुसचिवीय अधिकारी

(एक) निरीक्षक–अ (कार्यालय अधीक्षक);

(दो) निरीक्षक–अ (वरिष्ठ शीघ्रलेखक);

(तीन) उप निरीक्षक–अ (कनिष्ठ शीघ्रलेखक);

(चार) उप निरीक्षक–अ;

(पाँच) सहायक उप निरीक्षक–अ।

5. **पुलिस महानिदेशक के कर्तव्य.**– सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, पुलिस

महानिदेशक, बल का प्रमुख होगा और बल की उच्च दक्षता, प्रशिक्षण, अनुशासन और नैतिकता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा एवं इस उद्देश्य के लिए वह ऐसे सभी कदम उठाएगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

6. **विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.). के कर्तव्य.–** (1) विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सी.जी. एस.आई.एस.एफ. के समस्त अधीनस्थ अधिकारियों तथा सदस्यों के प्रशिक्षण, प्रशासन तथा अनुशासन और कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। वह, उसके समादेश के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले समस्त कर्तव्यों का पर्यवेक्षण करेगा। वह समय–समय पर ऐसे आदेश जारी करेगा जैसा कि उसके प्रभार के अधीन बल के विनियमन तथा प्रशासन के लिए आवश्यक हो।

(2) वह "परिनियोजन के स्थान" के प्रबंध निदेशक के साथ समन्वय बनाये रखेगा और समय–समय पर बल के संबंध में प्रत्येक इकाई की समस्याओं और आवश्यकताओं का समाधान करेगा।

(3) "परिनियोजन के स्थान" की सुरक्षा से संबंधित एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों में, वह पुलिस महानिदेशक को अवगत कराएगा और इस हेतु स्थानीय पुलिस अधिकारियों और अन्य राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय बनाए रखेगा ताकि प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

chaturpost.com

(4) "परिनियोजन के स्थानों" पर परिनियोजित "बल के सदस्यों" के पर्यवेक्षण अधिकारी के साथ समन्वय बनाए रखेगा, अपराध की स्थिति की समीक्षा करेगा और उचित अपराध नियंत्रण उपायों को अपनाने एवं प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उचित मार्गदर्शन और निर्देशन देगा।

(5) सी.जी.एस.आई.एस.एफ. को दलों में, प्रत्येक दल को बटालियनों में, प्रत्येक बटालियन को कंपनियों में, प्रत्येक कंपनी को प्लाटूनों में और प्रत्येक प्लाटून को अनुभागों में पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन उपरांत विभक्त कर सकेगा।

(6) पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन उपरांत किसी भी दल, बटालियन, कंपनी, प्लाटून अथवा अनुभाग को ऐसे स्थानों में नियुक्त कर सकेगा, जहाँ उचित प्रतीत हो।

(7) सी.जी.एस.आई.एस.एफ. बटालियन या इकाईयों का निरीक्षण करेगा।

7. **पुलिस महानिरीक्षक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.) के कर्तव्य.–** (1) पुलिस महानिरीक्षक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.), विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.) को उनके कर्तव्यों के पालन में सहायता करेगा और वह उनके समादेश के अधीन "बल के सदस्यों" के प्रशिक्षण, प्रशासन, अनुशासन,

कार्यक्षमता, मनोबल, स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए उत्तरदायी रहेगा।

(2) वह "परिनियोजन के स्थान" के "प्रबंध निदेशक" के साथ समन्वय बनाए रखेगा और समय–समय पर बल के संबंध में प्रत्येक इकाई की समस्याओं और आवश्यकताओं का समाधान करेगा।

(3) "परिनियोजन के स्थान" की सुरक्षा से संबंधित एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों में, वह विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.) को अवगत कराएगा और इस हेतु स्थानीय पुलिस अधिकारियों और अन्य राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय बनाए रखेगा ताकि प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(4) "परिनियोजन के स्थान" पर परिनियोजित "बल के सदस्यों" के पर्यवेक्षण अधिकारी के साथ समन्वय बनाए रखेगा, अपराध की स्थिति की समीक्षा करेगा और उचित अपराध नियंत्रण उपायों को अपनाने एवं प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उचित मार्गदर्शन और निदेशन प्रदान करेगा।

(5) "परिनियोजन के स्थान" पर परिनियोजित "बल के सदस्यों" के परिनियोजन या स्थानांतरण का आदेश विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.) के अनुमोदन से कर सकेगा।

(6) सी.जी.एस.आई.एस.एफ. बटालियन या इकाइयों का निरीक्षण करेगा।

(7) "परिनियोजन के स्थान" पर परिनियोजित सी.जी.एस.आई.एस.एफ. इकाई से संबंधित बकाया राशि को प्रबंध निदेशक से समय पर वसूली सुनिश्चित करेगा।

(8) विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.) की अनुपस्थिति में वह उनके दायित्वों का निर्वहन करेगा।

chaturpost.com

8. **पुलिस उप महानिरीक्षक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.) के कर्तव्य.**–जब पुलिस उप महानिरीक्षक को परिक्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तो वह अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित सभी कर्तव्यों को निभाएगा और मुख्यालय में विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.) की सहायता करेगा एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगा।

9. **सेनानी के कर्तव्य.**– (1) सेनानी, पुलिस उप महानिरीक्षक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.) के कर्तव्यों के पालन में सहायता करेगा और उनके समादेश के अधीन बल के समस्त सदस्यों के प्रशिक्षण प्रशासन, अनुशासन, मनोबल, स्वास्थ्य तथा कल्याण के

लिए उत्तरदायी रहेगा।

(2) बटालियन के कार्यपालक प्रमुख होने के नाते वह पुलिस उप महानिरीक्षक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.) के अध्यधीन रहते हुए, अपने क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले समस्त विषयों पर स्थायी आदेश एवं अनुदेश जारी करेगा, जिसमें उनके अधिनस्थों के द्वारा पालन किये जाने वाले कर्तव्य भी शामिल है।

(3) वह अपने अधीन समस्त अधिकारियों के प्रशिक्षण के और स्वयं के प्रभार की बटालियन के समस्त शस्त्रों, गोला बारूद तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी रहेगा।

(4) वह समस्त कल्याणकारी क्रिया–कलापों जैसे– कल्याण केन्द्र, स्वल्पाहार गृह, अनाज भण्डार इत्यादि के समुचित संचालन तथा उनके समुचित लेखे बनाये रखने के लिए भी उत्तरदायी रहेगा और बटालियन निधि, भोजनालय सुधार निधि तथा अन्य ऐसी निधियों से किए जाने वाले खर्चों पर समुचित नियंत्रण रखेगा और उनके दुरूपयोग को निर्धारित करने के लिए भी उत्तरदायी रहेगा।

(5) वह "परिनियोजन के स्थान" पर परिनियोजित बल का निरीक्षण करेगा।

(6) वह बटालियन मुख्यालय में आयोजित परेड में सम्मिलित होगा, लाइन का निरीक्षण करेगा तथा नियमित रूप से अर्दली आफिसर कक्ष के कार्य का निष्पादन भी करेगा।

(7) सेनानी "परिनियोजन के स्थान", जहाँ उसकी बटालियन के बल तैनात हैं, की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रयोजन के लिए, वह जिले और पुलिस अधिकारियों के साथ–साथ अन्य विभागों के प्रमुखों के साथ संपर्क बनाए रखेगा।

(8) वह पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.) के साथ–साथ उपक्रम के प्रबंध निदेशक को सभी सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों से अवगत कराएगा और उन्हें नियमित रूप से पाक्षिक प्रतिवेदन भेजेगा। वह तत्कालिक मामलों को शीघ्रतम संभव तरीके से वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में लायेगा।

chaturpost.com

(9) वह आसूचना शाखा के कार्य को सुनिश्चित करने पर व्यक्तिगत ध्यान देगा।

10. **उप सेनानी के कर्तव्य.–** (1) उप–सेनानी, सेनानी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगा और सेनानी की अनुपस्थिति में वह सेनानी के सभी कर्तव्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का उपयोग करेगा।

(2) वह सेनानी के अधीन रहते हुए समस्त व्यक्तियों के अनुशासन, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा कल्याण के स्तर को उच्च क्रम में बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होगा। वह बटालियन की समस्त नकदी, शस्त्र, गोला बारूद तथा अन्य सम्पत्ति का

समुचित लेखा बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा। उप सेनानी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बटालियन की कल्याणकारी क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करे। वह नियमित रूप से परेड में सम्मिलित होगा तथा साधारण एवं समारोहात्मक परेड के आयोजन हेतु समस्त व्यवस्थाएं करने हेतु उत्तरदायी रहेगा। वह उनके प्रभार के "परिनियोजन के स्थान" की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा तथा परिनियोजित बल का निरीक्षण करेगा। वह समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगा।

11. **सहायक सेनानी के कर्तव्य.–** (1) सहायक सेनानी, सेनानी को कर्तव्यों के पालन में सहायता करेगा तथा सेनानी द्वारा न्यस्त किये गये समस्त कार्य करेगा। सेनानी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए वह, अपने अधीनस्थों के अनुशासन, प्रशासन, कर्त्तव्य पालन, प्रशिक्षण कार्यक्षमता, मनोबल तथा कल्याण के स्तर को उच्च क्रम में रखने हेतु उत्तरदायी होगा। सहायक सेनानी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बटालियन की कल्याणकारी क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करे।

(2) वह उनके प्रभार के "परिनियोजन के स्थान" की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा तथा नियोजित बल का निरीक्षण करेगा। वह समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगा।

12. **कंपनी कमाण्डर/निरीक्षक.–** (1) जहाँ सहायक सेनानी "परिनियोजन के स्थान" पर परिनियोजित बल का प्रभारी होगा, कंपनी सेनानी/निरीक्षक सहायक सेनानी की सहायता करेगा।

chaturpost.com

(2) समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और सहायक सेनानी की अनुपस्थिति में "परिनियोजन के स्थान" पर तैनात परिनियोजित बल का प्रभारी रहेगा।

13. **प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक/सहायक प्लाटून कमाण्डर/सहायक उप निरीक्षक/प्रधान आरक्षक/आरक्षक/आरक्षक ट्रेडमेन (कुशल/अकुशल).–** कंपनी कमाण्डर/निरीक्षक को छोड़कर कार्यपालक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार, कार्य करेंगे और अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

अध्याय–तीन
सेवा की शक्तियाँ और गठन

14. **गिरफ्तारी और तलाशी.–** अधिनियम की धारा 9 के तहत् गिरफ्तारी करते समय या धारा 10 के तहत् तलाशी लेते समय, बल का सदस्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का सं. 46) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा। गिरफ्तारी के पश्चात् अधिनियम की धारा 11 का पालन किया जायेगा।

15. **नियुक्ति की शक्तियाँ.–** (1) पुलिस महानिरिक्षक, कमशः छत्तीसगढ़ सशस्त्र "बल के सदस्यों" एवं विशेष सशस्त्र बल अधिनियम, 1968 (क्र. 29 सन् 1968) तथा छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) के अंतर्गत नियुक्त छत्तीसगढ़ पुलिस बल की, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(2) पुलिस महानिदेशक सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के कार्यपालक एवं अनुसचिवीय अधिकारी के पद पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल एवं छत्तीसगढ़ पुलिस बल संवर्ग के समान स्तर के संदस्यों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कर सकेगा।

16. **प्रतिनियुक्ति की अवधि एवं शर्तें.–** (1) छत्तीसगढ़ पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधिकारी व कर्मचारी को पांच वर्षों की अवधि के लिए सी.जी.एस.आई.एस. एफ. में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा और इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में प्रतिनियुक्ति की अवधि छः वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) अर्हताएँ– (एक) प्रतिनियुक्ति के पूर्व अधिकारी और कर्मचारी की सेवा कम से कम 7 वर्ष होनी चाहिए।

(दो) आरक्षक संवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

chaturpost.com

(तीन) प्रधान आरक्षक संवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(चार) सहायक प्लाटून कमाण्डर/सहायक उप निरीक्षक संवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(पाँच) प्लाटून कमाण्डर/कंपनी कमाण्डर/उप निरीक्षक/निरीक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा 52 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(छः) सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के निर्धारित मापदण्डों को पूरा करना होगा।

(3) प्रतिनियुक्ति पर आये बल का प्रत्येक सदस्य मूल संवर्ग बल के समकक्ष पद पर

लागू अनुशासनात्मक नियमों के अध्यधीन होगा।

(4) सी.जी.एस.आई.एस.एफ. में परिनियोजित बल के सभी सदस्यों को औद्योगिक सुरक्षा पर निर्धारित प्रशिक्षण/कोर्स करना होगा, जिसकी अवधि और स्थान पुलिस महानिदेशक द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाएगा।

(5) "बल के सदस्यों" को मूल वेतन का 12% अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।

(6) उपर्युक्त के अलावा, प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए।

(7) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या पुलिस महानिदेशक या विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सी.जी.एस.आई.एस.एफ.) यथास्थिति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर सकेगा और इस तरह की समाप्ति को दंड नहीं माना जाएगा।

chaturpost.com

17. **प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में शपथ–पत्र.–** प्रत्येक बल का सदस्य अपनी प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति के समय प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट परिशिष्ट 'क' में एक शपथ–पत्र निष्पादित करेगा। यदि बल का सदस्य किसी भी कारण से तीन वर्षों की अवधि के भीतर मूल इकाई में वापस जाता है, तो भविष्य मे प्रतिनियुक्ति हेतु अयोग्य माना जायेगा।

18. **पदोन्नति.–**बल के सदस्य की पदोन्नति मूल संवर्ग (छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल/छत्तीसगढ़ पुलिस बल) के समकक्ष पद हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार होगी।

19. **नियमावली.–**पुलिस महानिदेशक, बल के प्रशासन के लिए प्रशिक्षण नियमावली, स्थापना नियमावली और अन्य नियमावली तैयार करेगा।

20. **निष्ठा की शपथ एवं नियुक्ति प्रमाण पत्र.–** बल का प्रत्येक सदस्य प्रतिनियुक्ति के समय प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट परिशिष्ट 'ख' में निष्ठा की शपथ लेगा और उसे अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) के अंतर्गत परिशिष्ट 'ग' में निर्दिष्ट नियुक्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।

21. **सेवा नियमों की समान्य शर्तें.– (1) सहायक सेनानी और उससे वरिष्ठ अधिकारी–** सहायक सेनानी और उससे वरिष्ठ अधिकारी, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश/परिपत्र में अंतर्विष्ट प्रावधान अनुसार शासित होंगे।

(2) **कंपनी कमाण्डर/निरीक्षक से आरक्षक ट्रेडमेन (कुशल/अकुशल) के पद–** कंपनी कमाण्डर/निरीक्षक से आरक्षक ट्रेडमेन (कुशल/अकुशल) की श्रेणी तक

के बल के सदस्य छत्तीसगढ़ पुलिस मेन्युअल एवं रेग्युलेशन्स और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश/परिपत्र जो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल एवं छत्तीसगढ़ पुलिस बल के समकक्ष पदों पर लागू होता है, में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार शासित होंगे।

22. **अनुशासनात्मक प्राधिकारी और उनकी शक्ति का विस्तार.–** अनुशासनात्मक कार्यवाही में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस मेन्युअल एवं रेग्युलेशन्स तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश/परिपत्र में निहित प्रावधान का पालन किया जाएगा।

23. **व्यावृत्ति.–** (1) इन नियमों और छत्तीसगढ़ पुलिस मेन्युअल एवं रेग्युलेशन्स के मध्य विरोधाभास की स्थिति में ये नियम प्रभावी होंगे।

(2) बल का सदस्य उसकी निलंबन अवधि में बल का सदस्य बना रहेगा और उस कालावधि के दौरान भी उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों के अध्यधीन होगा जिनके अध्यधीन वह कर्तव्यारूढ़ होने की दशा में होता।

24. **अपील.–** शास्ति आदेश के विरूद्ध अपील, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस मेन्युअल एवं रेग्युलेशन्स में अंतर्विष्ट प्रावधान जैसा कि विभिन्न श्रेणियों में लागू हों, के अनुसार की जा सकेगी।

25. **नियुक्ति प्रमाण–पत्र, आयुध, उपकरण, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं का समर्पण.–** (1) बल का प्रत्येक सदस्य जो, किसी कारण से बल का सदस्य नहीं रह जाता है, उसे अधिनियम के धारा 20 की उप–धारा (1) के अंतर्गत अपना नियुक्ति प्रमाण–पत्र, आयुध, उपकरण, वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं, जो उसे बल के सदस्य के रूप में कर्तव्यों का पालन करने के लिए दी गई हो, का समर्पण करना होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जान–बूझकर या अनिच्छा से उपर्युक्त वस्तुओं को समर्पण करने से इंकार करता है, तो अधिनियम के धारा 20 की उप–धारा (2) के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

26. **बल के सदस्यों के लिए कार्यालय, आवास एवं अन्य सुविधाएं.–** (1) संबंधित उपक्रम को अधिकारियों के लिए, उपक्रम के समीप आवास सहित उपक्रम में पदस्थ "बल के सदस्यों" हेतु किराया मुक्त परेड ग्राउंड, खेल का मैदान, क्वार्टर गार्ड और अन्य कार्यालय उपलब्ध कराना होगा। आवासीय मानदंड और आवास के निर्माण के लिए न्यूनतम आधार क्षेत्रफल प्रशासनिक प्रमुख द्वारा तैयार किया जायेगा।

(2) जहाँ बल के सदस्यों के लिए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या आवासीय सुविधा का लाभ नहीं लेते हैं, वहां उन्हें राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता दिया जाएगा।

27. **चिकित्सा सुविधाएं.**—(1) बल के सदस्य प्रचलित नियमों के अधीन राज्य सरकार की सुविधाओं के हकदार होंगे।

(2) जब किसी उपक्रम में परिनियोजित किया जाएगाः—

(एक) यदि वह उपक्रम अपने कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है, तो उस उपक्रम में परिनियोजित "बल के सदस्य" भी उन्हीं सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

(दो) यदि ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो "बल के सदस्यों" को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

28. **अवकाश.**— "बल के सदस्य" छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल एवं छत्तीसगढ़ पुलिस बल के समकक्ष श्रेणी के सदस्यों पर लागू अवकाश नियमों द्वारा शासित होंगे।

29. **अवकाश यात्रा रियायत.**— बल के सदस्य छत्तीसगढ़ सरकार के नियमों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत (L.T.C.) प्राप्त करेंगे।

30. **मौद्रिक पुरस्कारों के लिए पात्रता.**— मात्र कंपनी कमाण्डर/निरीक्षक श्रेणी तक के "बल के सदस्यों" को कर्त्तव्य पर रहते हुए विशेष साहसिक व असाधारण कार्य (कार्य जिसमें विशेष कौशल, पराक्रम, बौद्धिक या पहल परिलक्षित हुआ है) हेतु मौद्रिक पुरस्कार दिया जा सकेगा।

31. **मौद्रिक पुरस्कार या प्रमाण पत्र.**— अधिकृत पर्यवेक्षण अधिकारी पुलिस कर्मियों को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल एवं छत्तीसगढ़ पुलिस बल में समकक्ष श्रेणी में लागू पुरस्कार प्रदान करने के लिए अधिकृत है। chaturpost.com

32. **"परिनियोजन के स्थान" के प्रबंध निदेशक द्वारा मौद्रिक पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र.**— परिनियोजन के स्थान के प्रबंध निदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. की अनुमति से परिनियोजित बल के सदस्य को विशेष साहसिक व असाधारण कार्य हेतु मौद्रिक पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकते हैं।

33. **पदक प्रदान करना.**—(1) "बल के सदस्यों" को पुलिस महानिदेशक (DGP) का डिस्क और अन्य पदक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल एवं छत्तीसगढ़ पुलिस "बल के सदस्यों" पर लागू प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

(2) विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. बल के लिए किसी अन्य वार्षिक पुरस्कार संस्थित कर सकेंगे, जो प्रोत्साहन और प्रेरणा के रूप में दिया जाएगा।

34. **बल के सदस्यों का स्थानांतरण.**–(1) कंपनी कमाण्डर/निरीक्षक से लेकर उप सेनानी की श्रेणी तक के अधिकारियों का विभिन्न परिनियोजन के स्थान पर स्थानांतरण विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के द्वारा किया जाएगा।

(2) प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक के पद तक के अधिकारियों जो एक सेनानी, सी. जी.एस.आई.एस.एफ. के प्रशासनिक नियंत्रण में हो, का विभिन्न परिनियोजन के स्थान पर स्थानांतरण, सेनानी, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. द्वारा किया जाएगा।

35. **चिकित्सा अयोग्यता के आधार पर बल के सदस्य की मूल इकाई में वापसी.**– (1) यदि बल का कोई सदस्य चिकित्सा अयोग्यता के कारण अपना कर्त्तव्य करने में असमर्थ है, तो सेनानी आदेश दे सकेगा कि उस सदस्य को जिला चिकित्सा बोर्ड, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(2) यदि जिला चिकित्सा बोर्ड, रायपुर द्वारा यह पाया जाता है कि उक्त सदस्य बल में आगे सेवा देने के लिए अयोग्य है, तो विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों से सहमत होने पर, उस सदस्य को अग्रिम कार्यवाही हेतु मूल ईकाई में वापस भेजने का निर्देश देगा।

36. **उपक्रम परिसर में नकदी और अन्य वस्तुएं ले जाने की अनुमति.**– (1) कंपनी कमाण्डर/निरीक्षक पद तक के "बल के सदस्य" कर्त्तव्य के दौरान आकस्मिक आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु अधिकतम 2500/– रुपये तक या समय–समय पर पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्धारित नकदी अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कर्तव्य के दौरान उपयोग के लिए दिए गए आधिकारिक उपकरण भी अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

chaturpost.com

(2) उपक्रम में प्रवेश करते समय "बल के सदस्य" को, यदि उनके पास कोई नकद है तो कर्तव्य पंजी में विनिर्दिष्ट रूप से दर्ज करना होगा। कर्तव्य से वापसी पर उन्हें उनके पास की वास्तविक राशि को भी अभिलिखित करना होगा और किसी विसंगति अथवा अधिकता की दशा में स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर या प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय–चार
व्यय

37. **बल के खर्च का भुगतान.**– (1) इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार, बल के प्रबंधन, प्रशिक्षण, स्थापना, वर्दी, उपकरण, आयुध और गोला–बारूद, वाहन और ईंधन (पेट्रोल, ऑयल, ल्यूब्रिकेन्ट) एवं अन्य की पूरी लागत उन "परिनियोजन के स्थान" के

प्रबंधन द्वारा वहन की जाएगी जहाँ सी.जी.एस.आई.एस.एफ. को परिनियोजित किया जाएगा।

(2) प्रारंभ में सी.जी.एस.आई.एस.एफ. पर होने वाला व्यय छत्तीसगढ़ सरकार के बजट अनुदान से किया जाएगा और ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित "परिनियोजन के स्थान" से प्राप्त की जाएगी।

(3) "परिनियोजन के स्थान" पर परिनियोजित बल के पूरे खर्च से संबंधित देयक प्रबंधन को प्रस्तुत करने पर, देयक की प्रतिपूर्ति संबंधित प्रबंधन के द्वारा अधिकतम 30 दिवस के भीतर की जाएगी।

(4) औद्योगिक इकाईयों से प्राप्त राशि का मिलान प्रतिवर्ष वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ से कराया जायेगा।

(5) आवर्ती और अनावर्ती व्यय, जिन्हें संबंधित उपक्रम द्वारा वहन किया जाएगा, निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाते हैं:–

(क) आवर्ती व्यय

chaturpost.com

(एक) वेतन और भत्ते,

(दो) वर्दी और उपकरणों का वार्षिक प्रतिस्थापन,

(तीन) यात्रा भत्ता,

(चार) आकस्मिक व्यय,

(पाँच) पेंशन अंशदान,

(छः) अवकाश वेतन अंशदान,

(सात) प्रशासनिक या पर्यवेक्षण प्रभार,

(आठ) समूह बीमा प्रभार,

(नौ) वार्षिक अभ्यास के लिए गोला–बारूद एवं आयुध के रख रखाव पर व्यय,

(दस) वाहन और ईंधन (पेट्रोल, ऑयल, ल्यूब्रिकेन्ट) पर व्यय,

(ग्यारह) कार्यालयीन व्यय एवं अन्य व्यय।

(ख) अनावर्ती व्यय

(एक) प्रशिक्षण शुल्क,

(दो) वर्दी और उपकरणों की प्रारंभिक आपूर्ति,

(तीन) पद और स्केल के अनुसार गोला–बारूद की प्रारंभिक आपूर्ति,

(चार) कार्यालय स्थापना व्यय।

(6) वसूली और प्रतिपूर्ति की लागत की गणना के लिए, प्रशासनिक प्रमुख या सेनानी द्वारा श्रेणीवार गणना पत्रक तैयार किया जाएगा और इसे संबंधित प्रबंधन को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि परिनियोजन की औसत लागत से अवगत कराया जा सके। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार उक्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय में समय–समय पर वांछित परिवर्तन किया जा सकता है।

38. **प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया.–** बल पर व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित देयक संबंधित उपक्रम/प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे :–

(क) वेतन और भत्ते– परिनियोजन के स्थान पर तैनात सी.जी.एस.आई.एस.एफ. कर्मियों के वेतन और भत्तों से संबंधित देयक सी.जी.एस.आई.एस.एफ. इकाइयों की वेतन एवं भत्ते पुस्तिका में यथा अभिलिखित वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किये जायेंगे। देयक में अन्य बातों के साथ–साथ प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों जिनके लिए स्थापना बिल द्वारा उस माह के वेतन एवं भत्ते की निकासी की जाना है, की संख्या का उल्लेख किया जाएगा।

(ख) प्रशिक्षण प्रभार– प्रतिनियुक्ति के बाद, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. कर्मियों को उपक्रमों में परिनियोजन से पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण से संबंधित व्यय प्रशिक्षण प्रभार्य के रूप में संबंधित प्रबंधन से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया जायेगा।

chaturpost.com

(ग) वर्दी की प्रारंभिक लागत और वार्षिक प्रतिस्थापन प्रभार्य– सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के प्रत्येक सदस्य को वर्दी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण के समय उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उन्हें आवधिक अंतराल पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू प्रतिस्थापन नियमों के अनुसार बदला जाएगा। इनकी प्रतिपूर्ति राशि की गणना अनुपातिक दर के आधार पर की जाएगी तथा बाजार में उतार–चढ़ाव के फलस्वरूप पुनरीक्षण के अध्यधीन होगी। स्थाई संख्या में परिनियोजित बल के लिए, वर्दी की प्रारंभिक लागत की प्रतिपूर्ति विहित दर पर संबंधित उपक्रम द्वारा की जाएगी तथा इसे केवल एक बार प्रतिपूर्ति किया जाएगा, तदानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रतिपूर्ति के लिए देयक उपक्रम को प्रस्तुत किया जाएगा।

वास्तविक प्रतिस्थापन प्रभार, पूरे वर्ष भर में उपक्रम में बल की औसत तैनाती के आधार पर वसूला जाएगा।

(घ) सामग्री उपकरण, आयुध और गोला–बारूद की लागत– उपकरण तथा सामग्री

की आपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इन मदों से संबंधित देयक उपक्रम को प्रतिवर्ष अथवा इन्हें जब और जैसे आपूर्ति की जाएगी, प्रस्तुत किये जायेंगे। आयुध और गोला–बारूद की आपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाऐंगी। शर्त यह रहेगी कि इस संबंध में वार्षिक रखरखाव लागत (A.M.C.) उपक्रम द्वारा वहन की जाएगी और A.M.C. को प्रशासनिक प्रमुख द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा।

(ड.) वाहन की लागत–सामान्यतः वाहन तथा पीओएल (पेट्रोल, ऑयल, ल्यूब्रिकेन्ट) उपक्रम द्वारा सी.जी.एस.आई.एस.एफ. को सीधे उसके पैमाने और उपयोग के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे, तथापि जहाँ सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के किसी विशेष इकाई को पुलिस मुख्यालय द्वारा वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक हो, तो ऐसे मामलों में जब और जैसे ही वाहन उपलब्ध कराया जाएगा, वाहनों से जुड़े देयक संबंधित उपक्रम को प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रभार्य दर वास्तविक होगी तथा इसमें पंजीयन शुल्क आदि आनुषंगिक व्यय शामिल होंगे।

(च) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान– "बल के सदस्यों" का अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल एवं छत्तीसगढ़ पुलिस बल के समकक्ष पदों पर लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार वास्तविक तैनाती के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में संबंधित उपक्रम से लिया जायेगा।

chaturpost.com

(छ) प्रशासनिक या पर्यवेक्षण प्रभार– (एक) विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सेनानी, सी.जी. एस.आई.एस.एफ. के कार्यालय पर होने वाले व्यय (अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन सहित) आयुध कर्मशाला तथा प्रशिक्षण स्थापना को चलाने तथा उसके अनुरक्षण पर आने वाले व्यय प्रशासनिक या पर्यवेक्षण प्रभार में शामिल होंगे। प्रशासनिक या पर्यवेक्षण प्रभार संबंधित "परिनियोजन के स्थान" पर तैनात बल के प्रतिमाह कुल व्यय से संबंधित प्रस्तुत प्रभार देयकों का 10 प्रतिशत होगा। प्रशासनिक या पर्यवेक्षण प्रभार से संबंधित देयक प्रबंधन को प्रस्तुत करने पर, देयक की प्रतिपूर्ति संबंधित प्रबंधन के द्वारा अधिकतम 30 दिवस के भीतर की जाएगी।

(दो) उपक्रम को समय–समय पर लागू करों का भुगतान करना होगा।

(ज) सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के इकाई कार्यालय की आनुपातिक लागत.– "परिनियोजन के स्थान" पर बल की तैनाती आवश्यकता अनुसार होगी, सेनानी/उप सेनानी/सहायक सेनानी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे आवश्यकतानुसार "परिनियोजन के स्थान" में तैनात "बल के सदस्यों" के क्रिया–कलापों का पर्यवेक्षण करें। उनके मुख्यालय के व्यय की अनुपातिक प्रतिपूर्ति सेवा प्राप्त करने वाले उपक्रम से की जायेगी। इस संबंध में देयक भी अन्य देयकों के साथ उपक्रम को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(झ) सी.जी.एस.आई.एस.एफ. पर होने वाले लागत की प्रतिपूर्ति के लिए निम्न प्रकार

के देयक प्रस्तुत किये जायेंगे.–

(1) वेतन देयक

(2) अवकाश वेतन अंशदान देयक

(3) पेंशन अंशदान देयक

(4) सामग्री तथा उपकरण देयक

(5) आयुध तथा गोला–बारूद देयक

(6) वाहन तथा ईंधन की लागत के लिए देयक, यदि कोई हो, उपक्रम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हो।

chaturpost.com

(7) प्रशिक्षण प्रभार तथा प्रशासनिक या पर्यवेक्षण प्रभार।

(ञ) सरल क्रमांक (1) से (3) में सूचीबद्ध देयक, सेनानी द्वारा तैयार कर सी.जी.एस. आई.एस.एफ. मुख्यालय को भेजे जायेंगे, जहाँ विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा एवं परिक्षणोपरांत एक प्रति अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (योजना/प्रबंध), पुलिस मुख्यालय को एवं एक प्रति संबंधित उपक्रम को भेजी जायेगी। अन्य देयक सी.जी.एस.आई.एस.एफ. मुख्यालय में तैयार किये जायेंगे तथा उपक्रमों को भेजे जायेंगे उपक्रम, पुलिस मुख्यालय को भुगतान करेंगे।

39. **अग्रिम भुगतान की प्रतिपूर्ति.–** राज्य सरकार अपने बजट से सी.जी.एस.आई.एस.एफ. कर्मियों के वेतन और भत्तों का अग्रिम भुगतान करेगी। संबंधित उपक्रम को निम्न निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अग्रिम भुगतान की प्रतिपूर्ति करना होगाः–

(एक) सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के परिनियोजन हेतु दो माह के देयक (नियम–39 के अनुसार, यदि वाहन पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाती है तो वह भी देयक में शामिल होगा) के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी।

(दो) सी.जी.एस.आई.एस.एफ. मुख्यालय से देयक प्राप्त होने के बाद उपक्रम के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह समय पर प्रतिपूर्ति राशि जमा करें। इस उद्देश्य के लिए, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. मुख्यालय अगले महीने के पहले सप्ताह में अपना देयक प्रस्तुत करेगा ताकि उपक्रम 30 दिवस के भीतर भुगतान कर सके। व्यतिक्रम की स्थिति में उपक्रम पर 3% की प्रतिमाह

की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

(तीन) यदि व्यतिक्रम की स्थिति लगातार दो महीने तक होती है, तो सी.जी.एस. आई.एस.एफ. को वापस ले लिया जाएगा।

(चार) (एक) से (तीन) तक के उपरोक्त निबंधन एवं शर्तें नए परिनियोजन तथा जहाँ सी.जी.एस.आई.एस.एफ. की संख्या में संवर्धन प्रस्तावित हो, के मामले में लागू होंगे।

40. **सेवा की अन्य शर्तें.–** सेवा की शर्तों से संबंधित सभी विषयों के संबंध में, जिनके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है या अपर्याप्त प्रावधान किया गया है, बल के सदस्य राज्य सरकार के समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों पर ऐसे विषयों के संबंध में लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

अध्याय–पाँच
परामर्श और परिनियोजन

41. **उपक्रमों को सशुल्क तकनीकी परामर्श व प्रशिक्षण सेवाएं.–** (1) सी.जी.एस.आई.एस.एफ., सार्वजनिक, संयुक्त या निजी क्षेत्र, स्वशासी निकायों या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान में औद्योगिक स्थापनाओं को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर तकनीकी परामर्श व प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान कर सकता है, जिसमें शामिल हो सकते हैं:–

(एक) औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना और उपयुक्त समाधान सुझाना।

chaturpost.com

(दो) औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल का प्रसार करना, जिससे आवेदक या उसके कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित किया जा सके। ये प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण संस्थानों में या औद्योगिक प्रतिष्ठान में या पुलिस महानिदेशक अथवा विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य स्थान पर आयोजित किये जा सकते हैं।

(तीन) औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित करना और इसके लिए निर्धारित शुल्क लेना।

परंतु ऐसे विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पुलिस महानिदेशक या विशेष पुलिस महानिदेशक/ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(चार) औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा योजनाओं, उपायों, नियंत्रणों और प्रणालियों की योजना बनाना, रूपरेखा तैयार करना और उन्हें लागू करना।

(पाँच) सुझाए गए उपायों, नियंत्रणों और प्रणालियों के कार्यान्वयन की निगरानी के बाद प्रतिक्रिया प्रदान करना।

(छः) संचार नेटवर्क की योजना और रूपरेखा तैयार करना तथा संबंधित संचालन निर्देशों की तैयारी।

(सात) औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा से संबंधित निर्देशों, स्थायी आदेशों और संचालन प्रक्रियाओं का मसौदा तैयार करना।

(आठ) आपदा प्रबंधन और आकस्मिक योजना तैयार करना, पर्यवेक्षण करना और इस तरह की योजनाओं के पूर्वाभ्यास का संचालन करना।

(नौ) औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक संरक्षा या अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में ऑडिट (निरीक्षण) करना।

(दस) स्वतंत्र रूप से या आवेदकों और औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक संरक्षा, अग्नि सुरक्षा और संबंधित मामलों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एजेंसियों के साथ सहयोग में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को करना।

(2) किसी भी उपक्रम के प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध प्राप्त होने पर, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य निर्देशों के अध्यधीन, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ यदि उपयुक्त समझते हैं, तो वे अनुरोध की जांच के बाद प्रबंध निदेशक या उनके अधिकृत व्यक्ति को तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करने की शर्तें और नियम भेज सकेगा और तकनीकी परामर्श श्रृंखला के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए कह सकेगा।

(3) उपक्रम के प्रबंध निदेशक से निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर, पुलिस महानिदेशक संबंधित औद्योगिक उपक्रम से जुड़े किसी भी विषय पर तकनीकी अध्ययन करने के लिए बल के किसी भी अधिकारी को नामांकित कर सकते हैं या अधिकारियों की एक टीम का गठन कर सकते हैं।

chaturpost.com

(4) उपक्रमों से समय–समय पर निर्धारित किए गए अनुसार परामर्श शुल्क लिया जाएगा।

42. **किसी भी संघ के गठन पर प्रतिबंध.–** "बल के सदस्यों" को अधिनियम की धारा 18 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का पालन करना होगा।

43. **परियोजन के स्थान में तैनाती की प्रक्रियाएं.–** (1) यदि कोई "परिनियोजन का स्थान" सी.जी.एस.आई.एस.एफ. को अपनी सुरक्षा के लिए परिनियोजित करना चाहता

है, तो उसे इस

प्रयोजन के लिए पुलिस महानिदेशक को अनुरोध पत्र देना होगा।

(2) अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर, पुलिस महानिदेशक द्वारा विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. की अध्यक्षता में संयुक्त सर्वेक्षण बोर्ड गठित किया जायेगा जिसमें सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, सेनानी एवं संबंधित उपक्रम का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि सदस्य होगा। इसके अलावा संयुक्त सर्वेक्षण बोर्ड में पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित अन्य तकनीकी सदस्य भी सम्मिलित होंगे।

(3) पुलिस महानिदेशक संयुक्त सर्वेक्षण बोर्ड को सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के "बल के सदस्यों" के उपयोग और अन्य मूल्यांकन के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश देंगे।

(4) अनुरोध पर तभी विचार किया जाएगा जब सर्वेक्षण संचालन के लिए विहित शुल्क एक लाख रुपये (₹ 1,00,000/–) जमा किया जायेगा। उक्त शुल्क को पुलिस महानिदेशक द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

(5) संयुक्त सर्वेक्षण बोर्ड को "बल के सदस्यों" की आवश्यकता के मूल्यांकन के मापदंडों का पालन करेगा ताकि उपक्रम की सुरक्षा और खतरों की स्थिति का विश्लेषण किया जा सके।

44. **संयुक्त सर्वेक्षण.–** (1) संयुक्त सर्वेक्षण बोर्ड, जिसमें सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के पर्यवेक्षण अधिकारी और उपक्रम का वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होगा, को "बल के सदस्यों" की आवश्यकता निर्धारित करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात्:–

(एक) उपक्रम का स्थान,

(दो) सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशीलता और जोखिम,

(तीन) परियोजना में पूंजी निवेश,

(चार) क्षेत्र में प्रचलित कानून–व्यवस्था की स्थिति, जिसमें अपराध प्रवृत्तियां भी शामिल हैं,

(पाँच) श्रमिक स्थिति,

chaturpost.com

(छः) उपक्रम का महत्व,

(सात) आर्थिक स्थिति,

(आठ) भौतिक सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता, जैसे–परिधि दीवार, ऊंचे कांटेदार तार/कंसर्टिना तार की बाड़, प्रवेश और निकास द्वार, वॉच टावर, प्रकाश व्यवस्था, परिधि गश्त के लिए स्पष्ट क्षेत्र आदि,

(नौ) परिष्कृत इलेक्ट्रानिक गैजेट्स का उपयोग, जैसे सी.सी.टी.वी.,

(दस) श्वानों के दस्तों का उपयोग,

(ग्यारह) अग्निशमन व्यवस्थाएं,

(बारह) अन्य तथ्य जो आवश्यक समझें।

(2) औद्योगिक सुरक्षा केवल चोरी और क्षति से सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य खतरों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें तोड़फोड़, जासूसी, साइबर हमला, अतिवादी, आतंकवादी और अन्य किसी भी संभावित घटना से सुरक्षा शामिल है। कुछ मामलों में नागरिक सुरक्षा योजना और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता हो सकती है। प्रबंधन, जिसने उपक्रम की सुरक्षा सी.जी.एस.आई.एस.एफ. को सौंप दी है या सौंपने का प्रस्ताव किया है, को सी.जी.एस.आई.एस.एफ. द्वारा सुरक्षा खतरों की पूरी समझ बनाने और उचित एवं आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करने में सहायता प्रदान की जाएगी।chaturpost.com

(3) उपरोक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात्:–

(एक) सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के परिनियोजन के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं पर विस्तृत सर्वेक्षण करना होगा।

(दो) सुरक्षा प्रावधानों को निर्धारित करते समय, इस बात का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या वांछनीय है और वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए क्या उचित और स्वीकार्य है ?

(तीन) जोखिम का भार की तुलना हमेशा उस लागत के भार से की जानी चाहिए जो जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगी।

(चार) अति संवेदनशीलता मात्र को सुरक्षा प्रावधानों के लिए औचित्य नहीं माना जा सकता।

(पाँच) अति संवेदनशीलता की सीमा को विभिन्न कारकों जैसे समय की हानि, मरम्मत की लागत या प्रतिस्थापन की लागत के प्रभाव के संदर्भ में जांचा जाना चाहिए।

chaturpost.com

(छः) जहाँ "अति संवेदनशीलता" का आकलन सी.जी.एस.आई.एस.एफ. अधिकारियों द्वारा प्रबंधन के परामर्श से किया जाएगा वही गंभीरता का निर्धारण पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(सात) जहाँ किसी, स्थान या क्षेत्र या स्थापना को अति संवेदनशील माना जाता है, उसे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न माने जाने के कारण पर्याप्त सुरक्षा कवच के बिना छोड़ जाना है, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस तथ्य को विनिर्दिष्ट रूप से अभिलिखित किया जाएगा।

(4) (एक) संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रत्येक कर्तव्य बिन्दु के लिए "बल के सदस्यों" की आवश्यकता हेतु विस्तृत औचित्य शामिल होना चाहिए, और

(दो) सामान्य कर्तव्य बिन्दुओं जैसे कि नियंत्रण कक्ष, रिजर्व बल, प्रशासनिक कार्य, अनुसचिवीय अधिकारी, पर्यवेक्षक स्टाफ, परिवहन और रिजर्व का विवरण परिशिष्ट 'घ' यथा विनिर्दिष्ट तैयार किया जायेगा।

(तीन) पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार से अनुरोध किया जाएगा कि वे एक तकनीकी अधिकारी को नियुक्त करे, जो विशेष रूप से संवेदनशील प्रतिष्ठानो में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करे और स्थापना की सिफारिश करे।

(चार) यह टीम भविष्य में प्रतिष्ठानों के विकास को भी ध्यान में रखेगी और तद्नुसार "बल के सदस्यों" की सिफारिश करेगी।

(पाँच) निर्धारित मानदंडों से किसी भी प्रकार का विचलन एक विस्तृत औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(छः) सी.जी.एस.आई.एस.एफ. "बल के सदस्यों" की आवश्यकताओं और उपयोग का आकलन करते समय, आवास की आवश्यकता (कार्यालय, बैरक, कर्मचारियों के लिए क्वार्टर, क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, परेड ग्राउंड के लिए स्थान आदि) और अन्य सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा, स्कूल, कैंटीन, स्टेशनरी, टेलीफोन आदि को ध्यान में रखा जाएगा।

(सात) परिवहन और उपकरण आदि का प्रबंधन सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा विस्तृत विवरण के साथ प्रबंधन को संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में अभिलिखित नोट के साथ प्रदान किया जाएगा।

(आठ) कार्यालय फर्नीचर, बैरक फर्नीचर, कारीगर उपकरण और खाना पकाने के बर्तन आदि की दरें प्रशासनिक प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(नौ) सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं को भी शामिल किया जाएगा, अर्थात्:–

chaturpost.com

(क) प्रतिष्ठान का संक्षिप्त इतिहास;

(ख) संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें प्रत्येक कर्तव्य बिंदु के नाम, वहां किए जा रहे कार्यों का विवरण, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. द्वारा प्रत्येक कर्त्तव्य बिंदु पर किए जाने वाले कर्तव्यों का विवरण और प्रत्येक कर्त्तव्य बिंदु पर आवश्यक "बल के सदस्यों" का विवरण शामिल होगा;

(ग) उपक्रम के ब्लूप्रिंट, जिसमें सभी कर्तव्य बिन्दु जो सी.जी.एस.आई. एस.एफ. द्वारा प्रबंधित किया जाना है, समुचित रूप से चिन्हित हो;

(घ) कर्तव्य बिन्दुवार परिनियोजित तालिका;

(ङ) कर्तव्य बिन्दुवार विश्लेषण तालिका, जिसमें मानकों के अनुसार आवश्यक "बल के सदस्यों" की संख्या, मौजूदा "बल के सदस्यों" की संख्या, और सर्वेक्षण टीम द्वारा आंकी गई "बल के सदस्यों" की संख्या को दिखाया जाएगा;

(च) संयुक्त सर्वेक्षण बोर्ड के सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं भरा गया परिशिष्ट 'ङ';

(छ) उपरोक्त वर्णित सभी दस्तावेजों पर सर्वेक्षण अधिकारी और प्रबंधन प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे।

(5) सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात्, संयुक्त सर्वेक्षण बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा एवं एक प्रति संबंधित उपक्रम के प्रबंधन को उपलब्ध कराएगा।

(6) सर्वेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय, रायपुर में किया जाएगा, जिसमें सर्वेक्षण टीम की सिफारिशों और सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखा जाएगा।

(7) पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ से संबंधित उपक्रम को एक विस्तृत पत्र भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं सेनानी, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. को दी जाएगी। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं को निर्दिष्ट किया जाएगा, अर्थात्:–

(एक) आंकी गई "बल के सदस्यों" की संख्या का पदवार विभाजन;

(दो) कर्तव्य बिन्दुवार परिनियोजन तालिका (संलग्न की जायेगीं);

(तीन) बल की तैनाती में शामिल वित्तीय प्रभाव, आवर्ती और गैर–आवर्ती खर्च;

chaturpost.com

(चार) परिवहन की आवश्यकता;

(पाँच) आवास की आवश्यकता, क्वार्टर गार्ड, शस्त्रागार, कार्यालय, परेड ग्राउंड आदि;

(छः) प्रबंधन की सहमति प्राप्त होने के बाद, आवश्यक पदों की संख्या के लिए प्रशिक्षित "बल के सदस्यों" की संख्या की उपलब्धता और पूर्व–प्रवेश औपचारिकताओं की पूर्णता पर ही परिनियोजित किया जाएगा।

45. **उपक्रम में परिनियोजन की न्यूनतम संख्या.–** सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से एक उपक्रम में न्यूनतम संख्या से कम "बल के सदस्यों" को तैनात नहीं किया जायेगा। किसी भी उपक्रम में तैनात बल की संख्या 59 (कार्यपालक एवं अनुसचिवीय अधिकारी को सम्मिलित कर) से कम नहीं होगी, जिसकी संरचना पुलिस महानिदेशक द्वारा तय की जायेगी।

46. **औपचारिक अनुरोध.–** (1) संयुक्त सर्वेक्षण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सैद्धांतिक सहमति होने पर संबंधित उपक्रम पुलिस महानिदेशक को औपचारिक

अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

(2) उपक्रम से औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने पर, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के उपयोग के लिए शासन को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। शासन द्वारा अनुमोदन पश्चात् ही सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार बल को तैनात किया जायेगा। संबंधित उपक्रम और सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के पुलिस महानिरीक्षक को शासन से प्राप्त अनुमोदन के बारे में सूचित किया जाएगा ताकि प्रबंधन पूर्व–प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई कर सके।

47. **पूर्व–प्रवेश औपचारिकताएं.–** संबंधित उपक्रम और सी.जी.एस.आई.एस.एफ. के विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक पूर्व–प्रवेश औपचारिकताओं की शीघ्र पूर्ति सुनिश्चित करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से गेट, कार्यालय, नियंत्रण कक्ष, सुरक्षा कार्यालय, आवास, परेड ग्राउंड, खेल का मैदान, मनोरंजन कक्ष और अन्य संबद्ध सुविधाएं जो कि प्रशासनिक प्रमुख द्वारा निर्धारित की जायेंगी, शामिल होंगी, सर्वेक्षण रिपोर्ट के मूल्यांकन के अनुसार परिवहन और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे कि बर्तन, फर्नीचर (सभी कार्यालयों और स्थानों के लिए), क्वार्टर गार्ड वस्तुएं, कारीगरों के लिए उपकरण आदि की व्यवस्था की जाएगी।

48. **अग्रिम दल.–** (1) जैसे ही पूर्व–प्रवेश औपचारिकताएं पूर्णता के चरण तक पहुंचती है, उपक्रम के प्रबंधन के अनुरोध पर, विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. द्वारा, स्वीकृत संख्या में से अग्रिम दल, उपक्रम में तैनात किया जाएगा ताकि प्रबंधन को पूर्व–प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता मिल सके।

chaturpost.com

(2) अग्रिम दल पूर्व–प्रवेश औपचारिकताओं की पूर्णता पर सी.जी.एस.आई.एस.एफ. मुख्यालय को पाक्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। औपचारिकताओं की पूर्ति होने पर, विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. उपक्रम के प्रबंधन के परामर्श से परिनियोजन की तिथि निर्धारित करेंगे और बल की वास्तविक तैनाती से पहले बल इकट्ठा होने की तिथि और स्थान की जानकारी देंगे।

49. **बल की तैनाती.–** (1) बल की सुचारू तैनाती सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। इनमें तैनाती की तिथि, स्थान और बल इकट्ठा होने की तिथि निर्दिष्ट होगी। इन आदेशों की प्रतियां प्रबंधन और पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं सेनानी, सी.जी. एस.आई.एस.एफ. को भेजी जाएगी।

(2) विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. सेनानी या उप सेनानी को तैनाती की प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपेंगे। अधिकारी तैनाती की प्रक्रिया पूरी करेगा और इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें तैनाती के दौरान आई समस्याएं, पूर्व–प्रवेश औपचारिकताओं में कोई कमी (यदि हो), स्वीकृत बल की संख्या और पदवार तैनाती शामिल होगी।

50. **तैनाती के बाद.–** तैनाती से संबंधित रिपोर्ट सी.जी.एस.आई.एस.एफ. मुख्यालय द्वारा पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ गृह (पुलिस) विभाग को भेजी जाएगी।

51. **पुनः सर्वेक्षण.–** (1) उन उपक्रमों के संबंध में अनिवार्य रूप से पुनः सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा जिसमें कुछ वर्ष पूर्व सी.जी.एस.आई.एस.एफ. की इकाई स्थापित की गयी थी एवं विभिन्न कारकों के कारण तैनात बल परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता है। कुछ कारक नीचे दिए गए हैं, अर्थात्:–

(एक) उपक्रम में बल की संख्या की कमी :– chaturpost.com

(क) मूल्यांकन के समय आवश्यकता से कम बल की संख्या निर्धारित की गई थी।

(ख) (एक) पैदल चलने वाले या वाहन यातायात या रेलवे द्वार का निर्माण।

(दो) वॉच टॉवर का निर्माण।

(तीन) ऐसी घटनाएँ जिनका पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता था।

(दो) अन्य घटनाओं के कारण बल की संख्या में कमी, अर्थात्:–

(क) उपक्रम के क्षेत्राधिकार सीमाओं की मानक ऊंचाई विनिर्देश अनुसार परिधि दीवारों से घेराबंदी।

(ख) टाउनशिप गश्त के लिए प्रदान किये गये बल को वापस लेना।

(ग) उपक्रम के अधीन यूनिट को समय पूर्ण होने से नष्ट करना।

(घ) परियोजना या क्षेत्र के आधार पर कोई अन्य विशिष्ट कारण।

(2) संबंधित उपक्रम स्वयं या स्थानीय सी.जी.एस.आई.एस.एफ. अधिकारियों के कहने पर सी.जी.एस.आई.एस.एफ. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बल की संख्या में कमी या कटौती की दशा में पुनः सर्वेक्षण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपक्रम के प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से पुनः सर्वेक्षण टीम के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा और प्रतिनिधि स्वयं निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:–

(एक) संबंधित उपक्रम के लिए बल का अधिक मूल्यांकन, जो कुछ समय से अस्तित्व में हैं, खासकर जब क्षेत्र, परिधि, संचालन की अवधि, आगंतुकों या मजदूरों की इनपुट या आउटपुट संख्या आदि जिसके संदर्भ में सुरक्षा प्रदान किया गया था, में सराहनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

(दो) प्रशासनिक नियंत्रण के विभिन्न कर्तव्य बिंदुओं के लिए मानदंडों में संशोधन के कारण अतिरिक्त बल की सिफारिश।

(तीन) अतिरिक्त सतर्कता के आधार पर अतिरिक्त बल की सिफारिश।

(3) पुनः सर्वेक्षण अनिवार्य रूप से संबंधित प्रबंधन के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से किया जाएगा। पुनः सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे, अर्थात्:–

(एक) उपक्रम का संक्षिप्त इतिहास जो उन कारकों पर प्रकाश डालता है जिसके कारण पुनः सर्वेक्षण आवश्यक हो गया है।

(दो) पुनः सर्वेक्षण अधिकारी और उपक्रम के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित तैनात बल की संख्या में संशोधन का विस्तृत औचित्य। chaturpost.com

(तीन) दो भागों में विभाजित कर्तव्य बिंदु अनुसार तैनाती विवरण का चार्ट। चार्ट के बांई ओर पुनः सर्वेक्षण से पहले मौजूदा तैनाती दिखाई जाएगी और दांई ओर संबंधित प्रस्तावित तैनाती इस तरह दिखाई जाएगी कि बल की संख्या में सभी संशोधन स्पष्ट रूप से सामने आयें। यह विवरण दस्तावेज सर्वेक्षण अधिकारी और प्रबंधन के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(चार) पुनः सर्वेक्षण के पश्चात् कार्यशील होने वाले सभी कर्तव्य बिंदु चिन्हित सत्यापित दस्तावेज की प्रतियां।

(4) पुनः सर्वेक्षण रिपोर्ट विशेष पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. को भेजी जाएगी जो इसका आगे परीक्षण करेंगे और अपनी सिफारिशों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे, पुलिस महानिदेशक को अग्रेषित करेंगे। इन रिपोर्ट की आगे जांच पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ में की जाएगी और पुलिस महानिदेशक द्वारा अनुमोदित की जाएगी। पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन पश्चात् प्रबंधन को अतिरिक्त संख्या बल के लिए औपचारिक अनुरोध पत्र देने के लिए कहा जाएगा एवं उपलब्धता के आधार पर बल तैनात किया जाएगा।

(5) उपक्रम के पुनः सर्वेक्षण अनुरोध पर तभी विचार किया जाएगा जब सर्वेक्षण संचालन के लिए आवश्यक शुल्क पचास हजार रुपये (₹ 50,000/–) जमा किया जाए। उक्त विहित शुल्क को पुलिस महानिदेशक द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

52. **भौतिक सुरक्षा.–** भौतिक सुरक्षा से तात्पर्य उन उपायों से संबंधित है जो चोरी, तोड़फोड़, अतिवादी घटना, अनाधिकृत प्रवेश आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। भौतिक सुरक्षा योजना में उपक्रम की परिधि और इमारतों और भवन के आंतरिक भाग और इसकी सामग्री के साथ–साथ महत्वपूर्ण स्थापना की सुरक्षा शामिल है। भौतिक सुरक्षा निर्देश का विवरण प्रशासनिक प्रमुख, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. द्वारा संबंधित उपक्रम से परामर्श करके तय किया जायेगा।

अध्याय–छः
विविध

53. **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग.–** आधुनिक/अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों या प्रणालियाँ जिनका उपयोग विश्व भर में सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है, उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रावधान के लिए विभिन्न उपक्रमों में उपयोग किया जाना चाहिए। प्रशासनिक प्रमुख, सी.जी.एस.आई.एस.एफ. समय–समय पर संबंधित उपक्रम को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आवश्यक उपकरण की सूची प्रस्तुत करेंगे।

54. **निर्वचन.–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई भी प्रश्न उद्भूत् हो तो वह राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार शर्मा, सचिव.